

पत्र संख्या : : 7ब/4701 योज०सं०-07/2018 20

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

डी०के० तिवारी,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची/चाण्डिल कम्पलेक्स;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 06/06/18

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उप शीर्ष-54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49S470180796540545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80-सामान्य/	796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई० आर० एम०	05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड- 49S470180796540545	11240.45

आवंटित राशि - ₹ एक सौ बारह करोड़ चालीस लाख पैतालीस हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2018-19 के बजट उपबंध रु. 20000.00 लाख (दो सौ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681 दि. 10.06.2015 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव(आर.एस. तिग्गा)
अभियंता प्रमुख

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 दिसम्बर 2018 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु.-यथोक्त



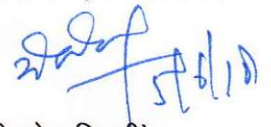
(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 20

राँची, दिनांक :- 06/06/18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/चक्रधरपुर/चाईबासा/सिमडेगा/गुमला/खुँटी/बुण्डु/चाण्डिल/घाटशिला/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसावा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



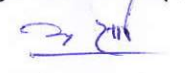
(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 20

राँची, दिनांक :- 06/06/18

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव


(आर.एस. तिग्गा)
अभियंता प्रमुख


(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक..... २०

दिनांक ०६/०६/१८

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्र उपयोगिता,

उप शीर्ष-54-पूर्ण सिंचाई योजना का ई. आर. एम.

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49S470180796540545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध रु. 20000.00 लाख (दो सौ करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन				Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	आवृत्ति राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	जलपथ प्रमंडल सं-1, चक्रधरपुर SGHIRR016	सैची	जेनासाई जलाशय योजना के पुनरुद्धार (ई0आरएम0) कार्य हेतु	78 / 16-17 प्र.स्त्री, दिनांक-17.01.2017	1866.000	0.00	0.00	350.00	350.00	30177		
		सैची	सेनुआ सिंचाई योजना के पुनरुद्धार (ई0आरएम0) कार्य	84 / 16-17 प्र.स्त्री, दिनांक-02.02.2017	1348.180	0.00	0.00	200.00	200.00	30180		
		सैची	विजय सिंचाई (वीयर) योजना के पुनरुद्धार (ई0आरएम0) कार्य	81 / 16-17 प्र.स्त्री, दिनांक-20.01.2017	2982.000	0.00	0.00	500.00	500.00	30184		
योग						0.00	1050.00	1050.00				
2	जलपथ प्रमंडल, चार्डवासा (SGHIRR008)	सैची	सोना सिंचाई (वीयर) योजनान्तर्गत खरसोवा शाखा नहर के कि०मी० 7.92 से 18.00 तक लाईनिंग कार्य	98 / 16-17 प्र.स्त्री, दिनांक-29.03.2017	1259.637	0.00	0.00	300.00	300.00	30186		
		सैची	सेरो सिंचाई (वीयर) योजना के पुनरुद्धार (ई0आरएम) कार्य हेतु	04/16-17 प्र.स्त्री, दिनांक -12.04.2016	6670.430	2087.310	0.00	1500.00	1500.00	30195		
योग						0.00	1800.00	1800.00				
3	जलपथ प्रमंडल सं०-1, सिमडेगा (SDGIRR001)	सैची	चिन्दा जलाशय योजना के मुख्य नहरों के लाईनिंग सहित पुनरुद्धार कार्य	21 / 17-18 प्र.स्त्री, दिनांक-27.06.2017	2294.000	447.27	0.00	1400.00	1400.00	30203		
		योग						0.00	1400.00	1400.00		
4	जलपथ प्रमंडल, गुमला (GMLIRR001)	सैची	जयपुर जलाशय योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग सहित ई0आरएम0 कार्य	97 / 16-17 प्र.स्त्री, दिनांक-29.03.2017	279.200	13.95	0.00	120.00	120.00	30216		
		सैची	धनसिंह टोली जलाशय योजना के पुनरुद्धार (ई0आरएम) कार्य	06/16-17 प्र.स्त्री, दिनांक -12.04.2016	2912.380	2338.83	0.00	190.10	190.10	30224		
		सैची	कतरी जलाशय योजना के पुनरुद्धार (ई0आरएम) कार्य हेतु	03/16-17 प्र.स्त्री, दिनांक -12.04.2016	9177.350	6660.560	0.00	2000.00	2000.00	30226		
योग						0.00	2310.10	2310.10				

(सजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव(आर.एस. तिमगा)
अभियंता प्रमुख(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

विरुत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49S470180796540545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबन्ध रु. 20000.00 लाख (दो सौ करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन				Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति	
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	आवृत्ति राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5	जलपथ प्रमंडल, खुँटी (RNCIRRK02)	सँची	लतारतु जलाशय योजना के एक्सटेंशन रिनोवेशन एवं मोडनाईजेशन (E.R.M) कार्य	26/14-15 प्र.स्वी. दिनांक-09.09.2014 एवं 91/16-17 प्र.स्वी. दिनांक-24.03.2017	4094.730	4251.380	0.00	200.00	200.00	30227			
योग						0.00	200.00	200.00					
6	जलपथ प्रमंडल, सँची (DRNMIAR013)	सँची	नंदनी जलाशय योजना का ई०आर०एम (E.R.M) कार्य	31/14-15 प्र.स्वी. दिनांक-12.09.2014	1817.840	1809.910	0.00	2.90	2.90	30228			
पारस जलाशय योजना के मुख्य नहर के पी.सी.सी. लाईनिंग एवं ड्रेम अवयव का मरम्मत सहित ई.आर.एम. कार्य हेतु						79/16-17 प्र.स्वी. दिनांक-20.01.2017	2703.834	394.49	0.00	1500.00	1500.00	30229	
योग						0.00	1502.90	1502.90					
7	सिंचाई प्रमंडल, बुण्डु (RNCIRR011)	सँची	रैसा वीयर योजना का ई.आर.एम. कार्य।	71/16-17 प्र.स्वी. दिनांक-20.12.2016	659.724	342.87	0.00	300.00	300.00	30230			
योग						0.00	300.00	300.00					
8	जलपथ प्रमंडल, सं०-2, चैनपुर, गुमला (GMIIAR008)	सँची	मसरिया जलाशय योजना का ड्रेम की मरम्मत, दौँची एवं दौँची मुख्य नहर का लाईनिंग, क्षतिग्रस्त संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य के लिए	05/17-18 प्र.स्वी. दिनांक-24.04.2017	1618.597	25.30	0.00	200.00	200.00	30231			
योग						0.00	200.00	200.00					
9	सुवर्णरेखा बाँध प्रमंडल सं.-2, चाण्डिल (SKLIAR028)	चाण्डिल	सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत पलना जलाशय योजना के पुनरुद्धार/ERM कार्य हेतु	67/16-17 प्र.स्वी. दिनांक-15.12.2016	5758.810	461.00	0.00	2000.00	2000.00	30232			
योग						0.00	2000.00	2000.00					
10	लघु वितरणी प्र० सं०-10, घाटशिला (JSRIAR022)	चाण्डिल	पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत राजबाँध सिंचाई योजना के नहर के जीर्णोद्धार तथा लाईनिंग कार्य सहित ERM कार्य हेतु	89/16-17 प्र.स्वी. दिनांक-16.03.2017	357.720	124.11	0.00	177.45	177.45	30233			
		चाण्डिल	पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत देशबाँध सिंचाई योजना के नहरों के जीर्णोद्धार तथा लाईनिंग कार्य सहित ERM कार्य हेतु	95/16-17 प्र.स्वी. दिनांक-29.03.2017	673.680	157.75	0.00	300.00	300.00	30235			
योग						0.00	477.45	477.45					
कुल योग						0.00	11240.45	11240.45					
आवृत्ति राशि - ₹ दो सौ बारह करोड़ चालीस लाख पैतालीस हजार मात्र।													

आवंटित राशि - ₹ दो सौ बारह करोड़ चालीस लाख पैतालीस हजार मात्र।

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमारद्वे)
विशेष सचिव

(आर.एस. तिगा)
अभियंता प्रमुख

(डी०के० शिवारी)
अपर मुख्य सचिव